



Ph: 0674-258 9935, 258 8672.

Fax: 0674-258 9938,

E-mail. ccbbsr@rediffmail.com/
ccu-exbbr@nic.in

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, जीएसटी,केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER, GST, CX & CUSTOMS, BHUBANESWAR ZONE केंद्रीय राजस्व भवन, राजस्व विहार, भुवनेश्वर – 751007, ओड़िशा

C.R. BUILDING, RAJASWA VIHAR, BHUBANESWAR-751007, ODISHA

## NOTICE

Applications are invited from experienced legal practitioners for drawal of a Regular Panel of Standing Counsels (03 Senior Standing Counsels and 03 Junior Standing Counsels) for handling litigations matter related to indirect taxation before the Hon'ble High Court of Orissa and other fora. The details regarding eligibility criteria & other terms and conditions governing the appointment of Standing Counsels shall be are as per the Central Board of Indirect Taxes and Customs Letter F.No. 278A/43/2007-Legal dated 05.12.2007 and F.No. 278A/50/2011-Legal dated 14.09.2012 which is available in the link given below-

## $\underline{www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/standing-counsels-guidelines.pdf}\ .$

The applicants must be registered as an advocate with Orissa High Court and having requisite experience in handling GST, Customs, Central Excise & Service Tax matters and other emerging areas in Antiprofiteering, NCLT, NCLAT, etc., may apply in the prescribed proforma A or A-1 by hand or speed/registered post in a sealed cover addressed to Shri Susanta Kumar Mishra, Deputy Commissioner(Law), Office of the Chief Commissioner, Central GST, Central Excise & Customs, C.R.Building, Rajaswa Vihar, Bhubaneswar, Odisha - 751007, so as to reach on or before 15.09.2022. The applicants who submit application by hand/in person can collect dated acknowledgement at the time of submission of the application.

Applications received after 18.00 hrs. of 15.09.2022 shall not be entertained. The short listed candidates will be called for a interview, on a specified date/ time which will be intimated in due course. The envelope containing the application along with copies or all the requisite documents should be clearly superscribed as "Application for the post of Senior/Junior Standing Counsel"

(Susanta Kumar Mishra)
Deputy Commissioner (Law-CCO)
CGST, Central Excise & Customs
Bhubaneswar Zone, Bhubaneswar.





Ph: 0674-258 9935, 258 8672.

Fax: 0674-258 9938,

E-mail. ccbbsr@rediffmail.com/

ccu-exbbr@nic.in

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जॉन OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER, GST, CX & CUSTOMS, BHUBANESWAR ZONE केंद्रीय राजस्व भवन, राजस्व विहार, भुवनेश्वर – 751007, ओड़िशा C.R. BUILDING, RAJASWA VIHAR, BHUBANESWAR-751007, ODISHA

## नोटिस /NOTICE

माननीय उच्च न्यायालय, ओड़िशा और अन्य फोरम के समक्ष अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मुकदमेबाजी मामले से निपटने के लिए स्टैंडिंग काउंसिल (03 सिनियर स्टैंडिंग काउंसिल और 03 जूनियर स्टैंडिंग काउंसिल) के नियमित पैनल के हेतु अनुभवी स्टैंडिंग काउंसिल से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्ति हेतु पात्रता मानदंड तथा अन्य लागू नियमों एवं शर्तों संबंधी समस्त विवरण सीबीआईसी तथा सीमा शुल्क के पत्र F.No. 278A/43/2007-Legal दिनांक 05.12.2007 तथा F.No. 278A/50/2011-Legal दिनांक 14.09.2012 के अनुसार होगी जो नीचे दिए गए लिंक में उपलब्ध है।

## www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/standing-counsels-guidelines.pdf .

आवेदकों का ओड़ीसा उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है और जीएसटी, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर मामलों और मुनाफाखोरी रोधी(एंटी-प्रॉफिटियरिंग), एन.सी.एल.टी, एन.सी.एल.ए.टी., आदि के अन्य उभरते क्षेत्रों को निपटाने में अपेक्षित अनुभव रखते हों, वे सीलबंद लिफाफे में निर्धारित प्रोफार्मा A या A-1 में श्री सुशांत कुमार मिश्र, उपायुक्त(विधि), मुख्य आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, सी.आर. बिल्डिंग, राजस्व विहार, भुवनेश्वर, ओड़िशा -751007 के पते पर दिनांक 15.09.2022 तक अथवा उससे पूर्व दस्ती अथवा द्रुत(स्पीड)/पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने वाले आवेदक अपनी दिनांकित पावती को प्रोफार्मा जमा करते वक्त प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक 15.09.2022 को 18.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। चयनित(शॉट लिस्टेड) उम्मीदवारों को एक निर्दिष्ट तिथि/समय पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना नियत समय पर दी जाएगी।

आवेदन युक्त लिफाफे में प्रतियों सहित समस्त आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए तथा लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "सिनियर / जूनियर स्टैंडिंग काउंसिल के पद के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए।

(सुशांत कुमार मिश्र) 30.08.22 उपायुक्त(विधि-मु.आ.का.) सीजीएसटी, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन, भुवनेश्वर